



टिप्पणी

16

दीर्घकालीन वित्त के स्रोत

पूर्व के पाठ में हम दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने के विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। सामान्यतया वित्त प्राप्त करने की विधियां ही वित्त का स्रोत कही जाती हैं। वास्तव में ये विधियां कोष प्राप्त करने के स्वरूप को स्पष्ट करती हैं। अतः वे स्रोत जिनसे और जिनके माध्यम से कोषों की प्राप्ति होती है इस में सम्मिलित किये भी जा सकते हैं और नहीं भी। अतः प्रस्तुत अध्याय के परिप्रेक्ष्य में हमें वित्तीय स्रोतों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। आपको स्मरण होगा कि इस के पूर्व के अध्याय में हम दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों का विधिवत परिचय प्राप्त कर चुके हैं। इस अध्याय में हम उन्हीं स्रोतों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।



उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों की पहचान कर सकेंगे;
- पूँजी बाजार के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कर सकेंगे;
- भारतीय विशिष्ट वित्तीय संस्थानों की पहचान कर सकेंगे;
- विशिष्ट वित्तीय संस्थानों की प्रकृति एवं उन की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे;
- म्यूच्युअल फंड की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे;
- पट्टादारी कम्पनियों की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे;
- दीर्घकालीन वित्त के विदेशी स्रोतों की पहचान कर सकेंगे; और
- दीर्घकालीन वित्त के स्रोत के रूप में संचित आय के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे।

16.1 दीर्घकालीन वित्त के स्रोत

दीर्घकालीन वित्त के स्रोत से तात्पर्य उन स्रोतों से है जिनके माध्यम से वित्तीय संस्थानों अथवा एजेसियों को दीर्घकाल के लिए धन प्राप्त होता है। जैसा कि पूर्व में वर्णन किया जा चुका है कि एकल स्वामित्व व साझेदारी फर्मों के दीर्घकालीन वित्त का प्रबन्ध व्यवसाय के स्वामी द्वारा स्वयं तथा संचित लाभ से किया जाता है। किन्तु कम्पनियों की दशा में जिनकी वित्तीय आवश्यकताएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं, निम्नलिखित स्रोतों से दीर्घकालीन वित्त प्राप्त किया जाता है:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| (क) पूँजी बाजार | (ख) विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं |
| (ग) म्यूच्युअल फंड | (घ) पट्टादारी कम्पनियां |
| (ङ) विदेशी स्रोत | (च) संचित आय |

16.2 पूँजी बाजार

पूँजी बाजार से तात्पर्य उन संगठनों एवं यांत्रिक विधियों से है जिनके माध्यम से कम्पनियां, अन्य संस्थाएं एवं सरकार दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करती हैं। अतः इसके अन्तर्गत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं विदेशी बाजार से प्राप्त होने वाले सभी दीर्घकालीन ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। साथ ही विभिन्न प्रतिभूतियों जैसे अंश, ऋणपत्र, बॉण्ड, आदि को निर्गमित करके पूँजी प्राप्त करने की व्यवस्था भी इसमें आती है।

प्रतिभूतियों के व्यापार हेतु पूँजी बाजार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, प्राथमिक बाजार और दूसरा, द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार में नवीन तथा तत्काल निर्गमित की गई प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है। अतः इसे नवीन निर्गमन बाजार भी कहते हैं। द्वितीयक बाजार में पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय किया जाता है और इसे शेयर बाजार या स्टाक एक्सचेंज कहते हैं। नवीन निर्गमन बाजार का सम्बन्ध मूलतः उस व्यवस्था से है जिस के द्वारा कम्पनियां अंश, ऋणपत्र एवं बॉण्ड का निर्गमन कर दीर्घकालीन वित्त एकत्रित करती हैं। इन प्रतिभूतियों का निर्गमन कम्पनियां अपने निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में करती हैं तथा बाद में अपने विस्तारण एवं आधुनिकीकरण क्रियाओं के हेतु भी इन प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं विक्रय एक कठिन कार्य है क्योंकि इस के लिये कम्पनियों को विभिन्न औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। साथ ही उन्हें निर्गमन के उचित समय एवं निर्गमन की विधि के सम्बन्ध में भी निर्णय लेना पड़ता है। इस कार्य हेतु उन्हें बहुत से मध्यस्थों जैसे— बैंकों, अभिगोपकों, दलालों, आदि की सहायता लेनी पड़ती है। ये सभी मध्यस्थ प्राथमिक बाजार के क्रय—विक्रय सम्बन्धी व्यापार की सहायता के आवश्यक अंग हैं।



टिप्पणी



टिप्पणी

द्वितीयक बाजार एक संघ, संगठन अथवा व्यक्तियों का समूह है जिसकी स्थापना प्रतिभूतियों के नियमन तथा नियंत्रण के लिए की जाती है। इसे द्वितीयक बाजार इसलिये कहा जाता है क्योंकि इस में उन्हीं प्रतिभूतियों का व्यवसाय शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) के माध्यम से किया जाता है जो पूर्व में निर्गमित हो चुकी हैं। यह बाजार केवल अपने सदस्यों के लिये ही खुला रहता है जिनमें अधिकांश ब्रोकर (दलाल) होते हैं। ये प्रतिभूतियों के क्रेताओं-विक्रेताओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इस बाजार का मुख्य कार्य प्रतिभूतियों के नकदीकरण की सुविधा प्रदान करना तथा उन के व्यवहार में सुरक्षा प्रदान करना है। इन सुविधाओं के कारण ही लोग इन प्रतिभूतियों में धन विनियोजन करने को इच्छुक रहते हैं। पूँजी बाजार का विस्तृत अध्ययन हम अध्याय 18 में करेंगे।

16.3 विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं

व्यापारिक संगठनों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने हेतु केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा कुछ विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। ये संस्थाएं नये व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना, विस्तारण एवं आधुनिकीकरण में सहायक सेवाएं भी प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं— भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आधारभूत (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकास वित्त कम्पनी लिमिटेड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राज्य औद्योगिक विकास निगम और राज्य वित्त निगम, आदि हैं। चूंकि ये संस्थान विकास कार्य के लिये वित्त उपलब्ध कराते हैं इसलिए इन्हें विकास बैंक या विकास वित्त संस्थान भी कहते हैं। इन विकास बैंकों के अतिरिक्त कुछ अन्य वित्तीय संस्थान भी हैं जो कम्पनियों के लिये दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था तथा उन के अंशों व ऋणपत्रों के लिए अभिदान भी करते हैं। ये संस्थान—भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट हैं। इन संस्थाओं के मुख्य कार्य हैं:

- (i) औद्योगिक संस्थानों के लिये दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत करना।
- (ii) उन व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना में सहायता करना जिन्हें बहुत बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है तथा जिनकी गर्भावधि भी लम्बी होती है।
- (iii) सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण क्षेत्र एवं विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु सहायता प्रदान करना।
- (iv) उद्यमियों को प्रोत्साहन, परियोजना सहायता, तकनीकी सहायता और उन के प्रशिक्षण तथा विकास हेतु विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना।
- (v) नयी परियोजनाओं की पहचान, मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन में विशिष्ट एवं पेशेवर प्रबन्ध सेवाएं प्रदान करना।



पाठगत प्रश्न 16.1

- नवीन निर्गमन बाजार व शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) में कोई एक अन्तर दीजिए।
- निम्नलिखित संक्षिप्त रूप को उसके पूर्ण रूप में लिखिए।

(क) वि.वि.सं.	(ख) भा.औ.वि.बैं.	(ग) भा.ल.उ.वि.बैं.
(घ) रा.वि.नि.	(ङ) भा.औ.वि.नि.	

आइये, हम कुछ विशिष्ट संस्थानों के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें:

- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम :** यह सबसे पुराना विशिष्ट वित्त संस्थान है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इस निगम का मुख्य उद्देश्य बड़े औद्योगिक उपक्रमों को दीर्घकालीन व मध्यकालीन वित्त प्रदान करना है। यह नये औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने एवं उनकी क्रियाओं के विस्तार एवं विविधीकरण में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह पूर्व स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के संयंत्रों के आधुनिकीकरण व नवीनीकरण में भी सहयोग देता है। यह निगम अधिकतम 25 वर्ष के लिये औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों को ऋण दे सकता है अथवा उनके अंशों एवं ऋणपत्रों को क्रय कर सकता है। यह ऋणपत्रों के निर्गमन या अन्य माध्यम से एकत्र किये जाने वाले ऋण की गारन्टी भी देता है। साथ ही यह निगम ऋणपत्रों एवं बाण्डों के अभिगोपन का भी कार्य करता है। वित्त प्रदान करने की प्रक्रिया में अधिक लोच लाने हेतु भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एक जून 1993 से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का स्वरूप दे दिया गया है।
- भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम :** इस निगम की स्थापना 1955 को कंपनियों को 15 वर्ष तक की अवधि के लिये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने तथा उन के नवीन अंशों तथा ऋणपत्रों के अभिदान करने के लिये हुआ। एकल स्वामित्व व साझेदारी फर्म भी इस निगम से ऋण प्राप्त करने हेतु अधिकृत हैं। यह संस्थान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की तरह से ही कम्पनियों द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋण की गारन्टी देता है तथा कम्पनियों द्वारा निर्गमित अंशों व ऋणपत्रों के अभिगोपन का भी कार्य करता है। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम से विदेशी मुद्रा में भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है। वित्त के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पूर्ण स्थिति उत्पन्न होने के कारण 3 मई 2002 से भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम का विलय भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग बैंक लिमिटेड में हो गया है। इस विलय के फलस्वरूप भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम समूह का वित्तीय एवं बैंक सम्बन्धी कार्य एक पूर्ण सेवा प्रदान करने वाली बैंकिंग कम्पनी के रूप में हो गया है।



टिप्पणी



टिप्पणी

3. **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक** : इस बैंक की स्थापना 1964 में की गई। इसकी स्थापना रिज़र्व बैंक आफ इन्डिया के सहायक के रूप में सभी औद्योगिक उपक्रमों को बिना किसी प्रतिबन्ध के सभी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये हुई थी। यह बैंक अन्य वित्त संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये ऋण के पुनर्वित्त की व्यवस्था भी करता है। इस के द्वारा अन्य संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण की गारन्टी का भी कार्य किया जाता है। यह अंशों व ऋणपत्रों का क्रय एवं अभिगोपन भी करता है। साथ ही यह बैंक व्यापारिक बिलों के बट्टे पर भुनाने एवं पुनःभुनाने का भी कार्य करता है। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की तरह से ही यह बैंक भी अक्टूबर 2004 से एक वाणिज्य बैंक के रूप में परिवर्तित हो गया है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विलय के बाद इसका पुनर्नाम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड हो गया है।
4. **भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक** : प्रारंभ में इस बैंक की स्थापना छोटी इकाइयों के पुनर्वास हेतु प्राथमिक ऐजेंसी के रूप में की गई थी और इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक कहते थे। सन् 1977 में इसका नाम पुनः बदल कर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक कर दिया गया। यह पूर्ण रूपेण सर्व उद्देशीय विकास बैंक है जिसके प्रचालन में लोच एवं स्वायत्तता प्राप्त है। 1997 में पुनर्गठन के बाद इसका केन्द्र बिन्दु पुनर्वास वित्त से हटकर विकास बैंकिंग की ओर हो गया है।
5. **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक** : इस बैंक की स्थापना सन् 1990 में लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्तन, वित्त व्यवस्था एवं विकास हेतु प्रमुख वित्त संस्थान के रूप में की गई। लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाले सभी बैंकों का यह शीर्ष संस्थान है। यह बैंक लघु उद्योगों के विनियम विपत्रों का पुनर्वितीकरण, उनको पुनः बट्टे पर भुनाना तथा उन के लिये बहुत-सी सहायक सेवाएं भी प्रदान करता है। यह बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों की आन्तरिक क्षमता में वृद्धि तथा गांव में रहने वाले गरीब लोगों के आर्थिक विकास हेतु एक बहुत बड़े पैमाने पर समुन्नत एवं विकासशील क्रियायों को करता है।
6. **राज्य वित्त निगम** : सभी प्रकार के औद्योगिक उपक्रमों (एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्मों एवं कम्पनियों) को वित्त सहायता प्रदान करने हेतु सामान्यतया सभी राज्यों में राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई है। इन निगमों की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों के औद्योगिक विकास की गति में वृद्धि लाना है। राज्य वित्त निगम उद्योगों को दीर्घकाल के लिये प्रत्यक्ष ऋण देते हैं। इसके साथ ही यह निगम लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता हेतु उनके ऋणपत्रों का अभिदान भी करता है। यह निगम कम्पनियों द्वारा जनता के मध्य निर्गमित अंशों व ऋणपत्रों का अभिगोपन भी करता है किंतु यह निगम कम्पनियों द्वारा निर्गमित अंशों के लिए प्रत्यक्ष रूप से अभिदान नहीं कर सकता। यह बैंक अन्य वित्त संस्थानों से एकत्र ऋण की गारंटी भी देता है। राज्य वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम 2000 ने देश के परिवर्तनशील आर्थिक एवं वित्तीय वातावरण के परिप्रेक्ष्य में निगम की कार्य प्रणाली में अधिक लोच प्रदान की है।

7. राज्य औद्योगिक विकास निगम : इन निगमों की स्थापना सन् 1960 एवं 1970 के प्रारंभ में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई। इन की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य के मध्यम एवं बड़े पैमाने के उद्योगों के प्रवर्तन, विकास एवं पुनर्उत्थान हेतु की गई। ये निगम औद्योगिक उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त इन उपक्रमों की प्रवर्तन प्रक्रिया में भी सहायक होते हैं। ये निगम केन्द्रीय व राज्य सरकारों की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सहायता प्रदान करते हैं।

8. अन्य वित्तीय संस्थान : उपरोक्त विशिष्ट संस्थानों के अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं जो दीर्घकालीन वित्त के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये संस्थाएं निम्न लिखित हैं:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम : इस निगम की स्थापना सन् 1956 में तत्कालीन बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् की गई। मूलतः यह निगम जीवन बीमा का व्यवसाय करता है। किन्तु इसके साथ ही यह राष्ट्रीय आवश्यकता एवं उद्देश्य के अनुसार विभिन्न सरकारी उपक्रमों में धन का निवेश भी करता है। यह निगम मुख्य रूप से अपना धन सरकारी प्रतिभूतियों, कम्पनियों के अंशों, ऋणपत्रों एवं बॉण्ड में निवेश करता है। यह बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को भी सामाजिक विकास एवं आधारभूत (infrastructure) सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह नये अंशों व ऋणपत्रों के अभिगोपन के साथ-साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण भी प्रदान करता है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता का प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्य ऋण स्वीकृत करने एवं धन वितरण के क्षेत्र में सराहनीय है।

(ख) भारतीय सामान्य बीमा निगम : इस निगम की स्थापना सन् 1973 में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर की गई। जीवन बीमा निगम की तरह से ही यह निगम भी अपने धन का विनियोजन करते समय अर्थव्यवस्था के समाजपरक क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है तथा सरकारी प्रतिभूतियों, कम्पनियों के अंशों व ऋणपत्रों में निवेश करता है। यह निगम पूर्व से चालू औद्योगिक उपक्रमों के साख-पत्रों के अभिगोपन की भी सुविधा प्रदान करता है और उन्हें आवधिक ऋण भी देता है।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट : इसकी स्थापना सन् 1964 में 5 करोड़ रुपए की पूँजी से विनियोग ट्रस्ट के रूप में की गई। इस ट्रस्ट की पूँजी रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक आफ इन्डिया और अन्य वित्तीय संस्थाओं के द्वारा प्रदान की गई है। यह विभिन्न योजनाओं जैसे यू एस 64 एवं मास्टर शेयर के अन्तर्गत सर्वसाधारण/ जनता की बचत को गतिशीलता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही यह निगम उस धन को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनियोजित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। यह कम्पनियों को आवधिक ऋण, विनिमय विपत्रों की पुनर्कटौती, उपकरण-पट्टा तथा किराया-खरीद वित्तीयन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करता है।



टिप्पणी



टिप्पणी

(घ) **भारतीय निर्यात व आयात बैंक** : भारतीय निर्यात व आयात बैंक की स्थापना जनवरी, 1982 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग के कार्य का अधिग्रहण कर की गई। यह बैंक विदेशी वित्त व्यवस्था के क्षेत्र में शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है। इस बैंक के मुख्य कार्य हैं: (i) वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात हेतु वित्त प्रदान करना। (ii) मध्यम व दीर्घकाल हेतु आस्थगित देयमान साख की व्यवस्था करना। (iii) विदेशों में संयुक्त उपक्रम व्यवसाय के अंश पूँजी में योगदान हेतु भारतीय व्यवसायियों को ऋण प्रदान करना। (iv) निर्यात साख से सम्बद्ध व्यापारिक बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करना। अभी हाल में इस बैंक ने उत्पाद उपकरण वित्तीयकरण का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है जिसके अन्तर्गत निर्यात कार्य में संलग्न उपक्रमों को संयंत्र के क्रय हेतु भारतीय मुद्रा में धन प्रदान किया जाता है। इस के अतिरिक्त यह बैंक व्यापारिक बैंकिंग व विकास बैंकिंग का भी कार्य जो प्रवर्तनीय प्रक्रियाओं के वित्त के लिए उपयुक्त होते हैं, करता है। यह निर्यात आयात व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों या संस्थाओं को परामर्श भी प्रदान करता है।

(ङ) **उपक्रम पूँजी संस्थान** : उपक्रम पूँजी समता वित्त का एक स्वरूप है जिस को युवा उद्यमियों को अधिक जोखिम तथा उच्चलाभ परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करने हेतु गठित किया गया है। यह संस्थान ऐसे उद्यमियों को उनके शोध एवं विकास परियोजनाओं को वाणिज्यिक उपक्रम में लागू करने के लिये, प्रारंभिक पूँजी एवं प्रबन्धकीय सहायता प्रदान करता है। प्रारंभिक पूँजी का प्रबन्ध समता भागीदारी के आधार पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित उपक्रमों के अंशों व ऋणपत्रों के प्रत्यक्ष क्रय द्वारा किया जाता है। वे संस्थाएं जो पूँजी प्रदान करने का जोखिम उठाती हैं, वे सम्बन्धित व्यवसाय के संचालन में सक्रिय भाग लेती हैं। इस प्रकार वे सम्बन्धित उपक्रम में सक्रिय भागीदारी व सहयोग द्वारा अपने निवेशित धन की सुरक्षा तथा उन के मूल्य में वृद्धि लाने में सहायक होती हैं।

उपक्रम पूँजी संस्थानों का विकास भारत में अभी हाल में हुआ है। इस अवधारणा का प्रारंभ सर्वप्रथम 1986 – 87 में हुआ जब भारत सरकार ने उपक्रम कोष (Venture Fund) के निर्माण की घोषणा की तथा यह भी निश्चय किया गया कि इस कोष का संचालन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक करेगा। इस घोषणा के क्रियान्वयन का कार्य भारतीय साख व निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंक— भारतीय स्टेट बैंक व केनरा बैंक ने किया जिन्होंने इस उद्देश्य हेतु एक अलग कम्पनियों की स्थापना की। कुछ राज्य सरकारों ने विकासशील क्षेत्र संस्थाओं के नियंत्रण द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के नवीन उपक्रमों को वित्तीय सहायता हेतु उपक्रम पूँजी कंपनियों की स्थापना की है। इन में गुजरात औद्योगिक निवेश निगम और आन्ध्र प्रदेश राज्य निगम प्रमुख हैं। सन् 1992 - 93 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने लघु उद्योग के क्षेत्र में नवीन खोजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपक्रम पूँजी कोष की स्थापना की।



पाठगत प्रश्न 16.2

1. उपक्रम पूँजी का अर्थ स्पष्ट कीजिये।
2. निम्नलिखित संस्थानों के स्थापना के वर्ष का उल्लेख कीजिये:
 - (क) भा.औ.नि.बैंक (IIBI)
 - (ख) भा.जी.बी.निगम (LIC)
 - (ग) भा.आ.नि.बैंक (Exim Bank)
 - (घ) भा.सा.बी.निगम (GIC)
 - (ङ) भा.ल.उ.वि.बैंक (SIDBI)

16.4 बैंक

इसके पूर्व के पाठ में आप यह अध्ययन कर चुके हैं कि व्यापारिक बैंक सामान्यतया व्यवसायों को, ऋण तथा अग्रिम, नकद साख और अधिविकर्ष के रूप में अल्पकाल के लिये वित्त प्रदान करते हैं। परन्तु आजकल अधिकतर व्यापारिक बैंक समय के आधार पर आवश्यकता आधारित दीर्घकालीन व मध्यकालीन वित्त सभी व्यावसायिक फर्मों को प्रदान करने लगे हैं। उदारीकरण के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने तरीके से ऋण-प्राप्तकर्ता की वित्तीय आवश्यकता का आकलन करें और उन्हें बड़ी मात्रा में व दीर्घ अवधि के लिये आवधिक ऋण प्रदान करें। कुछ बैंकों ने औद्योगिक उपक्रमों की वित्तीय सहायता हेतु एक अलग औद्योगिक शाखा स्थापित की है। इस प्रकार व्यावसायिक उपक्रमों को मध्यकालीन तथा अल्पकालीन ऋण प्रदान करने में व्यापारिक बैंक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने देश में अनेक सहकारी बैंक भी व्यापारिक बैंक का कार्य कर रहे हैं। ऐसे बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से लाइसेंस लेकर वाणिज्यिक बैंक की तरह कार्य करते हैं। ये कभी-कभी लघु एवं मध्य पैमाने की सहकारी औद्योगिक इकाइयों जैसे चीनी उद्योग, खाद्य संस्करण इकाई, आदि को भी दीर्घकालीन वित्त प्रदान करते हैं।

16.5 गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियां

आपने अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित आवासीय वित्त कम्पनियों, निवेश कम्पनियों और वाहन वित्त कम्पनियों का नाम सुना होगा। ये कम्पनियां निजी क्षेत्र में वित्त व्यवस्था का कार्य करती हैं और ये गैर-वित्त कम्पनियों की योगिक श्रेणी में आती हैं। चूंकि ये केवल जनता से जमा स्वीकार करने तथा ऋण प्रदान करने के दो ही कार्य करती हैं अतः इन्हें बैंकिंग कम्पनी नहीं माना जाता। सामान्य बैंकिंग कार्य इन कम्पनियों द्वारा नहीं किया जाता। ये



टिप्पणी



टिप्पणी

कम्पनियां आकर्षक ब्याज देकर जनता से जमा प्राप्त करती हैं तथा धन एकत्रित करती हैं। इनके द्वारा थोक व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों व लघु पैमाने के उद्योगों तथा स्वरोजगार में लगे लोगों को ऋण दिया जाता है। ये ऋण पूर्ण रूप से असुरक्षित होते हैं। अतः इनके द्वारा 24 से 36 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाता है,। ऋण तथा अग्रिम प्रदान करने के अतिरिक्त ये कम्पनियां हुण्डियों का क्रिय एवं भुनाना, व्यापारिक बैंकिंग, गृह वित्त, पट्टा वित्त तथा किराया क्रय व्यवसाय, आदि का कार्य करती हैं। आसान ऋण स्वीकृत करने के तरीके, जमा पर आकर्षक ब्याज और ग्राहकों की ऋण की आवश्यकता में लोच एवं समय सीमा न होने के कारण हमारे देश में गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियां वित्त प्रदान करने की महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गयी हैं।

16.6 म्यूच्यूल फंड

म्यूच्यूल फंड से तात्पर्य उस कोष से है जो प्रायोजकों द्वारा एक अथवा अधिक योजनाओं के अर्न्तगत प्रतिभूतियों में विनियोजन हेतु न्यास (ट्रस्ट) के रूप में स्थापित किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की निवेश संस्था है जो विनियोग मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह विनियोजकों की बचत को इकट्ठा करता है और इसे अच्छे ख्याति के उपक्रमों में एवं विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभूतियों में विनियोजित करता है। यह विनियोजकों की जोखिम को कम करता है और अच्छा प्रतिफल प्राप्त कराता है। इस प्रकार यह छोटे निवेशकों के लिये निवेश एजेंसी के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह व्यवसाय को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने का अच्छा स्रोत है।

16.6.1 म्यूच्यूल फंड के लक्षण

1. यह एक न्यास है जिसमें अनेक निवेशक यूनिट के रूप में अपना धन विनियोजित कर बड़ा कोष बनाते हैं।
2. धन का विनियोजन प्रतिभूतियों के रूप में कोष के प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है।
3. ये अपना धन ख्याति प्राप्त कम्पनियों की प्रतिभूतियों में विनियोजित करते हैं जिससे नियमित व निश्चित आय प्राप्त हो सके। इस प्रकार यह धन विनियोजन के जोखिम को कम करने में सहायक होते हैं।
4. म्यूच्यूल फंड कोष योजना से निवेशकों को उच्च प्रतिफल, सुगम तरलता, सुरक्षा और कर बचत की सुविधा प्राप्त होती है।
5. कोषों के विनियोजन से प्राप्त शुद्ध लाभ, यूनिट के स्वामियों में बांटा जाता है।
6. निर्धारित समय के पश्चात् या मांगने पर कोष का प्रबन्धक यूनिट के स्वामियों को धन वापस करने के लिये बाध्य होता है।

16.6.2 म्यूच्युअल फंड के प्रकार

निवेशकों के विनियोजन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए म्यूच्युअल फंड द्वारा बहुआयामी योजनाएं चालू की गई हैं जैसे समता कोष, ऋण कोष, अवशेष कोष, विकास कोष, आय कोष, तरल कोष, कर-बचत कोष, सूचकांक कोष, आदि। इन योजनाओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

(क) खुला कोष : इन कोषों की निश्चित विनियोजन राशि एवं सीमा नहीं रहती। ऐसे कोष अनवरत रूप से यूनिटों को विक्रय हेतु प्रस्तुत करते हैं तथा निश्चित यूनिटों के पुनःक्रय के लिये तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में निवेशक न्यास से किसी भी संख्या में और किसी भी समय यूनिटों को शुद्ध सम्पत्ति मूल्य से सम्बद्ध मूल्य पर क्रय-विक्रय करने हेतु स्वतंत्र हैं।

(ख) बन्द कोष : इन कोषों की स्थिति में निवेशकों से अंशदान राशि एक निश्चित समय के अन्तर्गत एक निश्चित मात्रा में वसूल की जाती है। यही नहीं बल्कि निवेशक एक निश्चित परिपक्वता तिथि के पूर्व अपने निवेशित यूनिट का धन वापस नहीं ले सकते हैं। फिर भी भुगतान प्राप्त करने की विधि में तरलता प्रदान करने हेतु ये शेयर बाजार में सूचीयन कराया जा सकता है तथा निवेशक जब भी चाहे यूनिट का विक्रय अथवा क्रय बाजार मूल्य पर बिना किसी कठिनाई के दलालों के माध्यम से कर सकते हैं।

हमें यह ज्ञात होना चाहिये कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट प्रथम म्यूच्युअल फंड है जिसकी स्थापना 1964 में की गई। इस के पश्चात् भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम और कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी म्यूच्युअल फंड का कार्य प्रारंभ कर दिया है जिसमें उन्हें भारी सफलता प्राप्त हुई है। उदारीकरण युग के प्रारंभ होने के साथ बहुत से निजी क्षेत्र के उपक्रम भी म्यूच्युअल फंड के क्षेत्र में प्रवेश कर गये हैं। उनमें से कुछ हैं बिड़ला सन लाइफ, एच.डी.एफ.सी., एच.एस.वी.सी, आई.सी.आई.सी.आई. प्रुडेंशियल, डी.एस.पी.मेरिल लीच, डी.वी.एस.चोला म्यूच्युअल फण्ड।



पाठगत प्रश्न 16.3

1. गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के वित्त के स्रोत का उल्लेख कीजिये।
2. शुद्ध सम्पत्ति मूल्य क्या है?
3. म्यूच्युअल फंड के लाभ बताइये।



टिप्पणी



टिप्पणी

16.7 पट्टेदारी कम्पनियाँ

इस के पूर्व की इकाई में आप दीर्घकालीन वित्त के विधि के रूप में पट्टेदारी व्यवस्था का अध्ययन कर चुके हैं। उत्पादक कम्पनियों में यह विधि काफी लोकप्रिय हो चुकी है। सामान्यतया पट्टेदारी कम्पनियों की सहायता से ही पट्टा वित्तीयन का कार्य सम्पन्न किया जाता है। ये कम्पनियाँ आवश्यक प्लांट व मशीनों को उत्पादकों से क्रय करती हैं और उसे जरूरत मंद कम्पनी को वार्षिक किराये पर निश्चित अवधि के लिये पट्टे के रूप में देती हैं।

इस उद्देश्य से पट्टादाता व पट्टाधारी के बीच एक उचित अनुबन्ध सम्पन्न होता है। इस अनुबन्ध के फलस्वरूप पट्टाधारी द्वारा पट्टे की अवधि के अन्त में पारस्परिक सहमति से एवं निश्चित मूल्य पर मशीन क्रय करने की सुविधा प्रदान की जाती है। हमें यह ज्ञात होना चाहिये कि पट्टाविधि में सम्पत्ति का स्वामित्व पट्टादाता कम्पनी के पास रहता है।

कभी-कभी एक कम्पनी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अपनी सम्पत्ति (मशीन अथवा भवन) एक पट्टेदारी कम्पनी को चालू बाजार मूल्य पर इस शर्त पर बेच सकती है कि पट्टादारी कम्पनी विक्रेता को वह सम्पत्ति पट्टे पर प्रयोग करने हेतु एक निश्चित समय के लिये दे देगी। इस प्रकार की व्यवस्था को 'विक्रय एवं पट्टा वापसी' व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में कम्पनी अपनी सम्पत्ति पर अधिकार को स्वयं से अलग किये बिना कोष प्राप्त करती है जिसका प्रयोग वह वार्षिक किराया देकर करती रहती है।

इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के पट्टा किराये में पट्टेदारी कम्पनी के व्यय एवं लाभ के अतिरिक्त ब्याज भी शामिल होता है। इस प्रकार पट्टादारी कम्पनी को पट्टे पर दी गई सम्पत्ति से उचित प्रतिफल का प्राप्त होना अति आवश्यक है।

भारत में पट्टा व्यवसाय सत्तर के दशक में आरंभ हुआ जब चिदम्बरम समूह ने सन् 1973 में प्रथम पट्टादारी कंपनी मद्रास में प्रारंभ की। अस्सी के दशक में ट्वेन्टीएथ सेंचुरी फाइनेंस कम्पनी और चार अन्य कम्पनियों ने इस कार्य में भागीदारी की। आज पट्टादारी कम्पनियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। अतः पट्टादारी व्यवसाय दीर्घकालीन वित्त हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत हो गया है। यह व्यवस्था मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योगों, जिनके वित्तीय स्रोत सीमित हैं, के लिए बहुत उपयोगी है।

16.8 विदेशी स्रोत

दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता को पूर्ण करने में विदेशी स्रोतों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे स्रोत इस प्रकार हैं:— (1) बाह्य ऋण (2) विदेशी विनियोजन (3) अप्रवासी भारतीयों से प्राप्त जमा। अब हम इन स्रोतों के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे:

- (1) **बाह्य ऋण** : इसके अन्तर्गत वाणिज्यिक ऋण एवं वे ऋण आते हैं जो दीर्घकालीन परिपक्वता के साथ रियायती ब्याज दर पर प्राप्त होते हैं। रियायती ऋण के मुख्य स्रोत हैं— अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय सहायता संघ, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम।

विश्व बैंक उच्च प्राथमिकता वाली विशिष्ट औद्योगिक योजनाओं को ऋण स्वीकृत करता है और वह ऋण या तो सीधे औद्योगिक उपक्रमों को दिया जाता है अथवा सरकारी एजेंसी के माध्यम से दिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक का एक सह सम्बद्ध संस्था है जो औद्योगिक उपक्रमों को 8 से 10 वर्षों की अवधि के लिये ऋण स्वीकृत करती है। ऐसे ऋणों को सरकारी गारन्टी की आवश्यकता नहीं होती।

जहां तक बाह्य व्यापारिक ऋणों का प्रश्न है, इनके मुख्य स्रोत निर्यात साख एजेन्सियाँ होती हैं जैसे कि यू.एस.ए. एक्जिम बैंक, जापान आयात निर्यात बैंक, यू.के. निर्यात साख एवं गारन्टी निगम और अन्य सरकारी व बहु-आयामी एजेंसियाँ। भारतीय फर्मों के विस्तार हेतु विनियोग के लिये बाह्य वाणिज्यिक ऋण एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो भारत सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त हैं।

- (2) **विदेशी निवेश :** हमारे देश में विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में अथवा विदेशी सहयोग के रूप में पाया जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग से तात्पर्य विदेशियों द्वारा भारतीय कम्पनियों के अंशों एवं ऋणपत्रों में भागीदारी से है। इसको पोर्टफोलियो विनियोग भी कहते हैं और ये अमेरिकन डिपोजिटरी रसीद (ए.डी.आर.), ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद (जी.डी.आर.), और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाण्डों (एफ.सी.सी.बी.) में आभिदान भी करते हैं।

वैकल्पिक रूप में कुछ कम्पनियाँ परिचालन के किसी निश्चित उद्देश्य से भारत में स्थापित की जाती हैं या बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भी अपनी सहायक कम्पनी या शाखा भारत में स्थापित कर सकती हैं। जहां तक विदेशी सहयोग का प्रश्न है वह वित्तीय सहयोग के रूप में पुराने व नये उपक्रमों की समता पूँजी में भागीदारी द्वारा हो सकता है। तकनीकी भागीदारी, तकनीकी ज्ञान को प्रदान करके अथवा पेटेंट या मशीनरी प्रदान करके की जा सकती है। पूर्वकाल में तकनीकी भागीदारी विदेशी सहायता का एक महत्वपूर्ण स्वरूप रहा है। किन्तु उदारीकरण के पश्चात् तकनीकी भागीदारी के स्थान पर वित्तीय भागीदारी अपने देश में अधिक लोकप्रिय हो रही है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि उदारीकरण के पश्चात् भारत सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने में अधिक सफल हुई है। यह इसलिये संभव हुआ है क्योंकि भारत सरकार ने विदेशी निवेश को 34 उद्योगों में उनकी समता पूँजी में 51% तक की भागीदारी के लिए संचालित स्वीकृति प्रदान कर दी है। वे उद्योग जो स्वचालित स्वीकृति के अन्दर नहीं आते, उन के मामलों को देखने के लिये एक विशेष बोर्ड (विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड) स्थापित किया गया है। विदेशी निवेश का मुख्य लाभ यह है कि सामान्यतया विदेशी निवेशक वित्तीय निवेश के साथ-साथ तकनीकी विशेषज्ञता एवं आधुनिक मशीनें भी लाते हैं। इसकी एक हानि भी है कि लाभ का बड़ा भाग विदेशी निवेश को चला जाता है।



टिप्पणी



टिप्पणी

(3) **अप्रवासी भारतीय :** आपको यह ज्ञात है कि भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रहते हैं, उन्हें अप्रवासी भारतीय कहा जाता है। ये भारत में दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनके द्वारा वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान का स्वरूप है— विदेशी मुद्रा अप्रवासी खाता और अप्रवासी (बाह्य) मुद्रा खाता। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सन् 2001 – 02 में विदेशी पूँजी में अप्रवासी जमा का अंश 26.7% था। तथापि बाह्य ऋण की तरह से ही अप्रवासी जमा, वित्त प्राप्त करने का एक ऊँची लागत वाला स्रोत है और ये अच्छे दिनों के लिये है। इस प्रकार अप्रवासी जमा पर अधिक निर्भरता उचित नहीं है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अप्रवासी भारतीय भारतीय कम्पनियों के अंशों व ऋणपत्रों में धन विनियोजित करने के लिये स्वतंत्र हैं। साथ ही उनको इन्हें विक्रय करने और अपना धन वापस लेने के लिये विकल्प प्राप्त हैं। तथापि यह कहा जा सकता है कि अप्रवासी भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अभिन्न अंग हैं।

16.9 संचित आय


आप जानते हैं कि संचित आय का सम्बन्ध उस अविभाज्य लाभ से है जिसे कम्पनी लाभ के रूप में न वितरित कर सामान्यतः साधारण संचय के रूप में अपने पास भविष्य के उपयोग के लिये रखती है। भविष्य में कम लाभ होने पर संचित आय आकस्मिक हानि से बचने का एक प्रभावी उपाय है। कम्पनियों द्वारा बोनस अंश निर्गमित करने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। संचित आय कम्पनियों के लिये शून्य लागत पर दीर्घकालीन वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कम्पनियों के विस्तारण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम में भी संचित आय का प्रयोग किया जाता है। संचित आय की रकम की मात्रा का निर्धारण, लाभ की मात्रा, प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपनाई गई लाभांश वितरण की नीति, लाभांश वितरण का कानूनी प्रावधान और निगमित कर की दर के आधार पर होता है। यह वित्त प्राप्त करने का एक आन्तरिक स्रोत है जिसे प्राप्त करने के लिये कोई व्यय नहीं करना पड़ता। और इसमें बाह्य वित्तीयकरण की अनिश्चिता भी नहीं है। यह दीर्घकालीन वित्त का विश्वसनीय स्रोत है। यह फर्म के समता स्तर को भी शक्ति प्रदान करता है जिससे वह अच्छी शर्तों पर ऋण प्राप्त कर सकती है। इस स्रोत की मुख्य कमी यह है कि— (1) यह लाभ की शुद्धता पर पूर्णतया निर्भर है। (2) प्रबंध द्वारा इस कोष का दुरुपयोग भी किया जा सकता है।



पाठगत प्रश्न 16.4

- (1) पट्टा अनुबंध के दो पक्षों का नाम बताइये।
- (2) विदेशी वित्त के स्रोतों के रूप में निम्नलिखित को तीन शीर्षक में वर्गीकृत कीजिये।
 - (क) ए.डी.बी. (एशियन विकास बैंक)
 - (ख) ए.डी.आर. (अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद)

- (ग) एफ.सी.एन.आर.ए. (विदेशी मुद्रा अप्रवासी खाता)
- (घ) ए.आई.सी. (भारतीय सहायत संघ)
- (ङ) पी.आई.ओ. (भारतीय मूल के लोग)
- (च) एन.आर.इ.आर.ए. (अप्रवासी मुद्रा खाता)
- (छ) एफ.सी.सी.बी. (विदेशी मुद्रा परिवर्तनशील बॉण्ड)



आपने क्या सीखा

- वे संस्थाएं अथवा एजेंसियां जिनसे अथवा जिनके द्वारा दीर्घकालीन वित्त प्राप्त किया जाता है, उन्हें दीर्घकालीन वित्त का स्रोत कहा जाता है। पूँजी बाजार, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियां, संचित आय, विदेशी निवेश और बाह्य ऋण कम्पनियों के दीर्घकालीन वित्त के मुख्य स्रोत हैं।
- कम्पनियां प्रतिभूति बाजार में अंशों व ऋणपत्रों को निर्गमित कर के दीर्घकालीन कोष प्राप्त करती हैं। इस बाजार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—
 - (क) नवीन निर्गमन बाजार जिनमें नई प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है। और
 - (ख) शेयर बाजार, जिनमें पुरानी प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है।
- औद्योगिक उपक्रमों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने तथा सहायक सेवाएं प्रदान करने हेतु केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं स्थापित की गई हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं— भारतीय औद्योगिक विकास निगम, भारतीय औद्योगिक



टिप्पणी



टिप्पणी

- साख एवं निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्त निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम। इन विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य वित्तीय संस्थाएं भी हैं जो दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने का कार्य करती हैं। वे संस्थाएं हैं— भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय निर्यात व आयात बैंक और उपक्रम पूँजी संस्थान।
- वाणिज्यिक बैंक व सहकारी बैंक भी व्यावसायिक उपक्रमों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन वित्त प्रदान करते हैं।
 - निजी क्षेत्र में बहुत-सी कम्पनियां हैं जो जनता से जमा प्राप्त करती हैं और व्यावसायिक उपक्रमों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती हैं। इन कम्पनियों को गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी कहते हैं। ऋण स्वीकृत करने के सरल तरीके, लोचपूर्ण एवं त्वरित सेवा के कारण गैर-बैंकिंग वित्त संस्थाएं दीर्घकालीन वित्त के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रकट हुई हैं।
 - म्यूच्युअल फंड एक निवेश मध्यस्थ का कार्य करता है, जो विभिन्न विनियोजकों से उनके बचत का धन एकत्र करके बड़ी कम्पनियों में विनियोजित करते हैं। यह विनियोजकों के जोखिम को कम करता है और उन्हें अच्छी आय के लिए आश्वस्त करता है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिये म्यूच्युअल फंड कम्पनियां जिन विभिन्न योजनाओं को प्रस्तुत करती हैं, उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—
(क) खुली योजना (ख) बंद योजना
 - पट्टादारी कम्पनियां भी व्यापारिक उपक्रमों को प्लांट व मशीन, भवन व भूमि, आदि किराये पर उपलब्ध करा कर दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती हैं। वाणिज्यिक फर्में इस सुविधा को सम्पत्तियों के क्रय में बिना पूँजी निवेश किये प्राप्त कर सकती हैं।
 - विदेशी स्रोत (क) बाह्य ऋण, (ख) विदेशी निवेश एवं (ग) अप्रवासी भारतीयों के रूप में दीर्घकालीन वित्त प्रदान करते हैं।
 - कम्पनी का अविभाज्य लाभ जो कि भविष्य में प्रयोग के लिये रखा जाता है, दीर्घकालीन वित्त का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके जारी करने में कोई व्यय नहीं होता और यह फर्म के समता आधार को शक्ति प्रदान करता है।



मुख्य शब्द

पूँजी बाजार	पट्टादारी नवीन	निर्गमन बाजार
संचित आय	शेयर बाजार	विकास वित्त निगम
विशिष्ट वित्त संस्थाएं	अप्रवासी भारतीय	उपक्रम पूँजी
	गैर-बैंकिंग	वित्तीय संस्थाएं
शुद्ध सम्पत्ति मूल्य	म्यूच्युअल फंड	



पाठान्त प्रश्न

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. शेयर बाजार (स्टाक एक्सचेंज) से आप का क्या अभिप्राय है?
2. किन्हीं दो विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का नाम बताइये।
3. म्यूच्यूल फंड की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।
4. म्यूच्यूल फंड की खुली योजना व बन्द योजना श्रेणियों में अन्तर स्पष्ट कीजिये।
5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थ बताइये।

लघु उत्तरीय प्रश्न

6. निर्यात-आयात बैंक के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन कीजिये।
7. विशिष्ट वित्त संस्थाओं के मुख्य कार्य क्या हैं?
8. किस प्रकार भारतीय जीवन बीमा निगम व्यवसाय की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को हल करने के लिये सहायता प्रदान करता है? स्पष्ट कीजिए।
9. गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियों का दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने में संबंधित नियमों का वर्णन कीजिये।
10. दीर्घकालीन वित्त के साधन के रूप में संचित आय के लाभ एवं दोषों को बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

11. दीर्घकालीन वित्त के स्रोत के रूप में पूँजी बाजार के योगदान का वर्णन कीजिये।
12. किन्हीं तीन विशिष्ट वित्त संस्थाओं का नाम बताइये और उनके उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
13. दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने में उपक्रम पूँजी संस्थानों की भूमिका का वर्णन कीजिये।
14. म्यूच्यूल फंड से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में इनकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिये।
15. विदेशी स्रोतों से कोष प्राप्त करने में बाह्य ऋण का वर्णन कीजिये।



पाठगत प्रश्नों के उत्तर

- 16.1
1. नवीन निर्गमन बाजार में नयी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय किया जाता है जबकि शेयर बाजार में पुरानी प्रतिभूतियों में क्रय-विक्रय किया जाता है।
 2. (क) विकास वित्तीय संस्थाएं (ख) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक



टिप्पणी



टिप्पणी

16.2


- (घ) राज्य वित्त निगम (ड) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
1. उपक्रम पूँजी समता वितीयन का एक स्वरूप है जो युवा उद्यमियों को उच्च जोखिम एवं उच्च प्रतिफल की योजनाओं के वितीयन के लिये बनाया जाता है।

16.3

1. सार्वजनिक जमा
2. वह कीमत जिस पर म्यूच्यूल फंड के यूनिट का क्रय-विक्रय किया जाता है।
3. (क) उच्च आय (ख) सुगम तरलता (ग) सुरक्षा (घ) कर-लाभ

16.4

1. (क) पट्टादाता (ख) पट्टाधारी
2. वित्त के विदेशी स्रोत



करें एवं सीखें

आपको निम्नलिखित सूचना समाचार-पत्र से एकत्रित करके रिकार्ड करना है-

- (क) म्यूच्यूल फंड कम्पनियां (कम से कम 5 से 10 तक)
- (ख) स्कीमें जो निर्गमित की गईं
- (ग) खुली अथवा बन्द सीमा
- (घ) यूनिट का मूल्य (बाजार मूल्य)
- (ड) अन्य कोई सूचना जो आप एकत्रित कर सकें।



अभिनयन

आपके नगर के चेम्बर आफ कामर्स द्वारा दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता पर एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आपका मित्र मदन, जो तैयार माल की दुकान चलाती हैं, चेम्बर आफ कामर्स की सदस्य है। यह जानते हुए कि आप व्यवसायक अध्ययन विषय के एक विद्यार्थी हैं, उन्होंने आपका नाम 'दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने में विशिष्ट संस्थाओं के योगदान' विषय पर भाषण देने के लिये प्रस्तावित किया है। आपको अपना भाषण तैयार करना है और सर्वप्रथम अपने मित्र के समक्ष प्रस्तुत करना है।